# कार्यालयः महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक, (नाम से)
   हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उडनदस्ता अधिकारी, (नाम से)
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली

क्रमांक 5995-6018/टी0आई–I दिनांक 25-04-2015

**विषयः:** **गबन/अनियमितता/लापरवाही के मामलों में कर्मचारियों के विरूद्व कार्रवाई बारे।**

उपरोक्त विषय पर यह देखने में आया है कि बसों की चैकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसे मामलों में दोषी चालक/परिचालक के विरूद्व की जा रही कार्रवाई में डिपूओं में भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकतर केसों में परिचालक के विरूद्व गबन/सम्भावित गबन की रिपोर्ट निरीक्षकों के द्वारा की जा रही है चाहे परिचालक के द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से पैसे लिये गये हों या नहीं । ऐसे मामलों का निपटान कर्मचारी से रिकवरी करके किया जा रहा है जिसमें आम तौर पर कर्मचारियों को सजा देने के लिये निर्धारित प्रकिया का पालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इससे परिचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे परिचालक जो यात्रियों से पैसे लेकर उन्हें टिकट जारी नहीं करते उनको उचित सजा नहीं मिल पाती है जिससे बसों में बिना टिकट यात्रा करने व कर्मचारियों के द्वारा पैसे लेकर टिकट न देने की प्रवृति को बढावा मिलता है।

मामले का पूर्ण रूप से अध्ययन करने उपरान्त उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित हिदायतें जारी की जाती हैं:–

1. चैकिंग की गई सभी बसों में चैकिंग उपरान्त वे–बिल पर चैकिंग पार्टी के ईन्चार्ज द्वारा स्पष्ट टिप्पणी लिखी जाएगी। चैकिंग निरीक्षक अपने हस्ताक्षर के अतिरिक्त अपनी स्टैम्प भी लगाएगें।
2. चालक/परिचालक का दोष पाए जाने पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट विस्तृत होगी। गवाह के तौर पर घटना के समय मौजूद अन्य कर्मचारियों तथा यथा सम्भव अन्य व्यक्तियों को रिपोर्ट में सम्मलित किया जाएगा। रिपोर्ट में अनपन्च टिकटों का विवरण होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दिऐ जाने के केसों में कंडक्टर के पास उपलब्ध कैश को चैक करने उपरान्त उसका विवरण भी रिपोर्ट में दिया जाएगा।
3. **बिना टिकट यात्रा करने के ऐसे मामलों जिन में स्पष्ट तौर पर** चालक/परिचालक **की संलिप्तता साबित नहीं होती** है, में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्व गबन की रिपोर्ट नहीं की जाएगी बल्कि उनके विरूद्व डयूटी में लापरवाही बरतने व सरकार

को वित्तिय हानि पहुंचाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कार्यालय में रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध निम्न अनुसार कार्रवाई की जायेगी:–

क) **नियमित** कर्मचारी के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम–1987 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पहले पांच केसों में नियम–8 के अर्न्तगत कार्रवाई की जाएगी तथा उसके बाद के केसों में नियम–7 में कार्रवाई की जाएगी। बाद वाले केस में पिछले केस में दी गई सजा से कम सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में दी गई सजा के आधार पर कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी नहीं की जाएगी।

ख) **अनुबन्ध** पर लगे ड्राईवरों/कंडक्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कर्मचारी का जवाब लेने उपरान्त मामले में इन्कवायरी करवाई जाएगी जिसमें कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। सजा देने से पूर्व कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजि सुनवाई का मोका दिया जायेगा । दोषी साबित होने पर ऐसे कर्मचारियों को वित्तिय सजा (पैनलटी) दी जायेगी जो बिना टिकट वाली राशि का पचास गुणा होगी लेकिन यह कम से कम 2000रू0 होगी। ऐसे मामलों में दी गई सजा के आधार पर अनुबन्ध कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी नहीं की जाएगी।

4. **परिचालक के द्वारा यात्रियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दिया जाना तथा पुरानी टिकटों को पुनः जारी करना** एक गम्भीर मामला है। ऐसे मामलों में कर्मचारी के विरूद्ध सरकारी पैसे का गबन करने, धोखाधडी करने व ड्यूटी में कोताही बरतने की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें सम्बन्धित यात्रियों व यथा सम्भव मौके के गवाहों को सम्मिलित किया जाएगा। कार्यालय में रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध निम्न अनुसार कार्रवाई की जायेगी:–

क) **नियमित** कर्मचारी के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम–1987 के नियम–7 अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा दोष साबित होने पर मुख्य सजा (मेजर पैनलटी) लगाई जाएगी। बाद वाले केस में पिछले केस में दी गई सजा से कम सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में दी गई सजा के आधार पर कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी दर्ज की जाएगी। ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी उस वर्ष की ए0सी0आर0 में दर्ज की जाएगी जिस वर्ष में कर्मचारी के विरूद्ध सजा का निर्णय किया गया हो।

ख) **अनुबन्ध** पर लगे ड्राईवरों/कंडक्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कर्मचारी का जवाब लेने उपरान्त

मोका दिया जायेगा । दोषी साबित होने पर ऐसे कर्मचारियों का अनुबन्ध समाप्त किया जायेगा।

5. **नियमित** कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी अवस्था में हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 1987 के अन्तर्गत चार्जशीट दिए बगैर कर्मचारी को सजा नहीं दी जाएगी। साधारण कारण बताओ नोटिस देकर केस का निर्णय नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिना चार्जशीट दिये कर्मचारी के द्वारा जुर्माना लगाकर केस का निपटारा करने की प्रार्थना के आधार पर केस का निर्णय नहीं किया जाएगा।

6. **नियमित** कर्मचारी का दोष साबित होने पर केवल वही सजा दी जाएगी जो हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 1987 के नियम 4 में दर्ज हैं। कर्मचारी पर जुर्माना करना उक्त नियम 4 के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी से रिकवरी करने के आदेश तभी पारित किये जायेगें जब चार्जशीट में सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया हो।

7. परिचालक के विरूद्ध जब तक कोई केस लम्बित रहेगा तब तक उसे लांग रूट पर नहीं लगाया जाएगा।

8. मार्ग पर परिचालक के वे–बिल पर किसी अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी बुकिंग ब्रांच ईन्चार्ज द्वारा तुरन्त अपनी टिप्पणी के साथ यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत की जाऐगी ताकि रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बगैर आगामी जरूरी कार्रवाई आरम्भ की जा सके।

उपरोक्त हिदायतों की पालना दृढता से की जाये। चालकों/परिचालकों समेत सभी सम्बन्धित को पालना हेतू नोट करवायें।

25.4.14

कृते: महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।